



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216272
CG-DL-E-19022020-216272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]
No. 107]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 125(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, –
(क) आरम्भिक पैरा में, “ग्यारह” शब्द के स्थान पर “तेरह” शब्द रखा जाएगा।
(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii)क) किसी एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में चक्रानुक्रम के आधार पर उद्योगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के सचिव या प्रधान सचिव;

(iiiख) किसी एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में चक्रानुक्रम के आधार पर उपभोक्ता मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के सचिव या प्रधान सचिव;”

[फा. सं. 6/1/2016-बी.आई.एस.]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 584(अ), तारीख 25 जून, 2018 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 1090(अ), तारीख 6 नवंबर, 2019 और सा.का.नि. 382(अ), तारीख 29 मई, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, in rule 6, in sub-rule (2),-
 - (a) in opening paragraph, for the word “eleven”, the word “thirteen” shall be substituted;
 - (b) after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - “(iiiia) Secretary or Principal Secretary of the Department having administrative control over Industries of any one State or Union territory on rotational basis;
 - “(iiib) Secretary or Principal Secretary of the Department having administrative control over Consumer Affairs of any one State or Union territory on rotational basis;”

[F. No. 6/1/2016-BIS]

AWADHESH KUMAR CHOUDHARY, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 584(E), dated the 25th June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 1090(E), dated the 6th November, 2018 and G.S.R. 382(E), dated the 29th May, 2019.